श्री सुभाष सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त

निवेदन संख्या-757/2026 का उत्तर प्रतिवेदन

निवेदन	उत्तर प्रतिवेदन
गोपालगंज जिला अंतर्गत गंडक नदी में कटाव रोकने तथा नदी की धारा मोड़ने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में मकसूदपुर-मंझरिया-खावाजेपुर के सामने पायलट चैनल निर्माण कराया गया था, जिसका कारण सदर प्रखंड के कई गांव कटाव से बच गए। 10 वर्षों में उक्त पायलट चैनल में गाद भर गया है, जिसके कारण नदी पुनः कटाव कर रही है तथा आधा दर्जन गाँव पर कटाव कर खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा पायलट चैनल में गाद सफाई की कार्ययोजना तैयार कर विभाग को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति लंबित है। इस योजना की स्वीकृति देने और बाढ़ से पूर्व इसका कार्य कराने हेतु मैं सरकार से निवेदन करता हूँ।	वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिला के गोपालगंज प्रखंड अंतर्गत प्रश्नगत मकसूदपुर एवं मंझरिया तटबंध के नदी भाग में अवस्थित हैं जबकि प्रश्नगत ख्वाजेपुर गंडक नदी के दायें किनारे निर्मित ख्वाजेपुर- गौसिया छरकी के नदी एवं कंट्री भाग में अवस्थित है। उक्त स्थलों के समीप नदी की प्रवृत्ति के आलोक में तटबंधों के सुरक्षार्थ कुल 4150 मीटर की लंबाई में प्रश्नगत पायलट चैनल का निर्माण बाढ़ 2020 पूर्व कराया गया था। पुनः बाढ़ 2021 पूर्व कटाव निरोधक कार्य के तहत् पायलट चैनल के मुहाने की सफाई करायी गयी थी, जो काफी प्रभावी रहा। कालान्तर में इस चैनल में गाद का आंशिक जमाव हुआ है, परंतु वर्तमान में भी जलस्तर में वृद्धि होने पर नदी उक्त चैनल से होते हुए प्रवाहित होती है। ख्वाजेपुर गाँव के सुरक्षार्थ नदी तट के क्षरण को रोकने हेतु बाढ़ 2026 पूर्व कटाव निरोधक कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में घोषित योजना के तहत् प्रश्नगत प्रभाग में तटबंध के संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षात्मक कार्य भी कराया गया है एवं तटबंध पूर्णतः सुरक्षित है। बाढ़ 2026 के दौरान प्रश्नगत स्थलों के समीप कटाव नहीं हुआ है एवं स्थल पूर्णतः सुरक्षित हैं। स्थलों पर सतत् निगरानी एवं चौकसी बरती जा रही है। कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थलों को सुरक्षित रखा जाएगा। बाढ़ 2026 के दौरान नदी के आक्राम्यता के आधार पर आवश्यकतानुसार प्रश्नगत पायलट चैनल के योजना पर विचार किया जायेगा तथा बाढ़ 2027 पूर्व कटाव निरोधक कार्य का स्वरूप निर्धारण करते हुए कार्यान्वियन कराया जायेगा।

P.T.O.

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0नि0(गो0)–03–19 / 2026– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–995 दिनांक–05.05.2026 के प्रसंग में निवेदन सं0–757 / 26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0नि0(गो0)–03–19 / 2026– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0नि0(गो0)–03–19 / 2026– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0नि0(गो0)–03–19 / 2026– 3645 पटना, दिनांक– 13/08/2026
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.08.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
13.8.26

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo